Annexure-2

(68)

पत्र संख्या–7/जा.नि.–019–08/04 का. 125 /
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

गोपनीय
सम्प्रेषित

प्रेषक,

श्री मुख्तयार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
रांची/लोहरदगा/सिमडेगा/गुमला।

रांची, दिनांक 15 जनवरी, 2005

विषय : लोहरा जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जन जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आदिवासी लोहरा समाज केन्द्रीय समिति, रांची द्वारा एक पत्र लोहरा जाति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जाने के संबंध में विभाग को प्राप्त हुआ है। (छाया प्रति संलग्न)। लोहरा जाति अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में शामिल है।

जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 3450 दिनाक 03.07.2004 द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में अन्य साक्ष्यों के अतिरिक्त स्थानीय जांच कर जाति निर्धारण किये जाने का उल्लेख है। स्थानीय जांच के क्रम में जांच पदाधिकारी द्वारा जांच की सही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि गलत प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा सके। जाति प्रमाण पत्र उपर्युक्त सत्यापन के पश्चात् तथा निर्गत करने वाले पदाधिकारी के स्वयं संतुष्ट होने के आधार पर ही निर्गत किया जाना है।

सदृश्य मामले में वि. पत्रांक 6327 दिनांक 20.11.2002 के द्वारा विधान सभा के आश्वासन के उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि यदि किसी व्यक्ति के खतियान में केवल चीक दर्ज है, एवं स्थानीय मामले में यह पाया जाता है कि वे चीक बड़ाईक की श्रेणी में आते हैं, तो तदनुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। उल्लेखित पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि जांचोपरान्त जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट होकर लोहरा जाति के सदस्यों को अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई करे, परंतु यह ध्यान रखा जाए कि लोहार जो पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में लोहरा जाति का प्रमाण पत्र नही निर्गत किया जाए।

विश्वासभाजन

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

(65)

ज्ञापांक 7/जा.नि.–019–08/04 का. 125/रांची, दिनांक 15 जनवरी, 2005

प्रतिलिपि – प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची/अध्यक्ष, आदिवासी लोहरा समाज केन्द्रीय समिति, रांची को सूचनार्थ वं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

11.1.05